

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 10/2025-26 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

आदेश संख्या 10/2025-26

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

जारी करने की तारीख: 29.08.2025

सेवा	: कार्गो हैंडलिंग सेवाएं
सेवा प्रदाता	: मैसर्स एआईसेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एएनसीटीपीएल)
हवाईअड्डा	: नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर
हवाईअड्डा प्रचालक	: मैसर्स यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड/

विषय: मैसर्स एआईसेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2026 तक।

एआईसेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्तुतीकरण

1. मैसर्स एआईसेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एएनसीटीपीएल) भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक सीमित देयता कंपनी है। मैसर्स एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर (यूपी) में एक एकीकृत कार्गो टर्मिनल (आईसीटी) के विकास और प्रचालनों के लिए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रचालक, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) के साथ रियायत करार को निष्पादित और कार्यान्वित करने के लिए एएनसीटीपीएल को एक विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में शामिल किया है।

2. मैसर्स एनसीटीपीएल ने अपने दिनांक 12.02.2025 के पत्र में सूचित किया है कि संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, वे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने प्रचालन शुरू कर देंगे। आईएसपी ने आगे बताया कि चूंकि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एकीकृत कार्गो टर्मिनल सुविधा एक ग्रीनफील्ड सुविधा है और कैपेक्स के आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, इसलिए उन्हें आरएबी के भाग के रूप में मदों की पूरी सूची के साथ बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा।
3. इस बीच, मैसर्स एनसीटीपीएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनकी प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2025-26 (दिल्ली हवाईअड्डे पर कार्गो टर्मिनलों के लिए लागू टैरिफ के आधार पर) के लिए (वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख से) 31.03.2026 तक, या, ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, के लिए अंतरिम टैरिफ अनुमोदित करें।

प्राधिकरण की जांच

4. प्राधिकरण नोट करता है कि मैसर्स यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल), ज्यूरिख अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर को डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विकसित कर रही है।
5. नोएडा में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, हवाईअड्डा प्रचालक ने आईसीटी सुविधा के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण के लिए आरएफपी जारी किया।
निविदा प्रक्रिया में मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक सफल बोलीदाता के रूप में सामने आई। तदनुसार, हवाईअड्डा प्रचालक ने सफल बोलीदाता के पक्ष में एक कार्य सौंपने संबंधी पत्र जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में आईसीटी सुविधा के विकास से संबंधित रियायत करार के निष्पादन हेतु विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) बनाने की आवश्यकता थी। इसके बाद, मैसर्स एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सफल बोलीदाता) ने भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एआईएसएटीएस नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनसीटीपीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का गठन किया।
6. एकीकृत कार्गो परियोजना के लिए त्रिपक्षीय रियायत करार 30.05.2023 को हवाईअड्डा प्रचालक (वाईआईएपीएल) और सफल बोलीदाता (मैसर्स एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) और विशेष प्रयोजन माध्यम (एनसीटीपीएल) के बीच निष्पादित किया गया।
7. प्राधिकरण नोट करता है कि एनसीटीपीएल ने दिनांक 12.02.2025 के अपने पत्र के माध्यम से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपनी प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए ऐरा के समक्ष टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली में कार्गो टर्मिनल प्रचालकों के लिए प्राधिकरण द्वारा पहले अनुमोदित टैरिफ पर आधारित था।
8. मैसर्स एनसीटीपीएल के प्रस्ताव की प्रारंभिक समीक्षा के बाद, प्राधिकरण ने कुछ कमियां/सूचना की कमी पाई और तदनुसार मैसर्स एनसीटीपीएल से निम्नलिखित बिंदुओं पर अपेक्षित दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगे:
 - (i) नोएडा हवाईअड्डे पर एकीकृत कार्गो टर्मिनल के विकास के संबंध में वाईआईएपीएल (हवाईअड्डा प्रचालक) और मैसर्स एनसीटीपीएल (आईएसपी) के बीच निष्पादित करार की प्रति।
 - (ii) नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विनियमित एजेंट (आरए) के रूप में कार्य करने के लिए मैसर्स एनसीटीपीएल के पक्ष में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति की प्रति।
 - (iii) नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो की अभिरक्षा के लिए सीमा शुल्क विभाग का अनुमोदन।

9. ऐरा के प्रश्नों के उत्तर में, मैसर्स एनसीटीपीएल ने दिनांक 05.03.2025 की ईमेल द्वारा दिनांक 30.05.2023 के रियायत करार की एक प्रति प्रस्तुत की। प्राधिकरण ने नोट किया है कि उपर्युक्त रियायत करार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध है, जिसमें पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर रियायत को 17 वर्ष तक और बढ़ाने का प्रावधान है।
10. एनसीटीपीएल ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) के दिनांक 24.06.2024 के पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की, जिसमें बीसीएस ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एकीकृत कार्गो टर्मिनल सुविधा के डिजाइन स्तर की सुरक्षा जांच के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है।
एनसीटीपीएल के प्रस्तुतीकरण से प्राधिकरण ने पाया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विनियमित एजेंट (आरए) के रूप में मैसर्स एनसीटीपीएल के कार्यों के लिए बीसीएस का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है और सुरक्षा विनियामक द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान करने में कुछ समय लगने की संभावना है।
11. इसके अतिरिक्त, आईएसपी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में कार्गो हैंडलिंग हेतु सीमा शुल्क अभिरक्षा के अनुमोदन के संबंध में सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त दिनांक 12.06.2024 के पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की। दिनांक 12.06.2024 के उपरोक्त पत्र के अवलोकन से प्राधिकरण ने पाया कि मैसर्स एनसीटीपीएल, नोएडा हवाईअड्डे के पक्ष में सीमा शुल्क अभिरक्षा का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है और सीमा शुल्क विभाग से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।
12. प्राधिकरण ने मैसर्स एनसीटीपीएल से विनियामक अनुमोदनों की प्राप्ति के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी है। इसके उत्तर में, आईएसपी ने दिनांक 13.06.2025 की ईमेल द्वारा सूचित किया कि वे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के सीओडी के अनुरूप प्रचालन शुरू कर सकते हैं और सीमा शुल्क विभाग से सीमा शुल्क अभिरक्षा के संबंध में अनुमोदन लगभग उसी समय मिलने की आशा है। आईएसपी द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि नोएडा कार्गो टर्मिनल पर उनके आरए कार्यों के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) की ओर से सुरक्षा जांच एक बार हवाईअड्डे के सुरक्षा इंटरफेस तैयार होने के बाद, सुरक्षा विनियामक द्वारा की जाएगी।
13. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और मैसर्स एनसीटीपीएल को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण ने नोएडा हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय और एक्सप्रेस कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए अपने प्रस्ताव के संबंध में आईएसपी के लिए तदर्थ टैरिफ मानने का निर्णय लिया है।
14. मैसर्स एनसीटीपीएल के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निकटवर्ती अन्य तुलना योग्य हवाईअड्डों पर कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर्स (सीटीओ) से संबंधित टैरिफ के तुलनात्मक विश्लेषण और विभिन्न कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के रूप में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर विचार करने के बाद किया गया है। एयर फ्रेट स्टेशन (एफएस) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय (निर्यात एवं आयात) कार्गो के संबंध में, प्राधिकरण ने सामान्य कार्गो की तुलना में न्यूनतर 30% कम टीएसपी शुल्क मानने का निर्णय लिया है। मैसर्स एनसीटीपीएल के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तदर्थ टैरिफ 31.03.2026 तक, या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, एक अंतरिम उपाय के रूप में है।
15. आईएसपी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रचालन प्रारंभ होने की वास्तविक तारीख (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) प्राधिकरण को सूचित करेगा। इसके अतिरिक्त, आईएसपी, मैसर्स एनसीटीपीएल के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण हेतु, वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने के छह माह के भीतर, आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ, निर्धारित प्रारूप में प्राधिकरण को अपना एमवाईटीपी भी प्रस्तुत करेगा।
प्राधिकरण द्वारा मैसर्स एनसीटीपीएल के लिए निर्धारित तदर्थ टैरिफ (अनुलग्नक-I के अनुसार) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2026 तक, या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।

आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) मैसर्स एआई सेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एएनसीटीपीएल) को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर (अनुलग्नक-I के अनुसार) में अंतरदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय और एक्सप्रेस कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ को तदर्थ आधार पर लगाने और एकत्र करने की अनुमति दी जाती है, जो सीओडी से 31.03.2026 तक, या, आईएसपी के लिए अपनी प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, प्रभावी है।
- (ii) नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रस्तावित प्रचालन के संबंध में मैसर्स एआई सेट्स के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीएचएस के लिए तदर्थ टैरिफ संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर है।
- (iii) उपर्युक्त अनुसार अनुमोदित टैरिफ, प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिकतम शुल्क होंगे तथा अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
- (iv) उपर्युक्त अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू कर शामिल नहीं हैं।
- (v) हवाईअड्डा प्रचालक, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एएनसीटीपीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय और एक्सप्रेस कूरियर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में अनुमोदित टैरिफ सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- (vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकारी की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में

श्री. रामनाथन राजमणि, निदेशक,
एआईसेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड,
प्लॉट नंबर 53-54, फेज-IV, उद्योग विहार,
पालम रोड हरियाणा 122015

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- 1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवा अड्डा, नई दिल्ली - 110003
- 2) श्री क्रिस्टोफ श्वेलमैन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर।

